मूल्य 200/–

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

जबलपुर से के.ई.सी. पनागर

साँची दूध परिवहनकर्त्ता नियुक्ति के लिये

द्विपक्षीय अनुबंध हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष 2018–20

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी संयंत्रः करौंदा नाला, इमलिया, अधारताल, जबलपुर

फोन– 0761–6499627, फैक्स–0761–2353150

E-mail : jdssanchi@gmail.com.

अल्पकालीन निविदा
साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्त्ता एवं परिवहनकर्त्ता नियुक्ति हेतु

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित (म.प्र. शासन का सहकारी संस्थान) अपने कार्यक्षेत्र में विपणन गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत निम्नलिखित निविदा/आवेदन आमंत्रित करता है:

क.	विवरण	शहर	वाहन क्षमता	निविदा दिनांक
1.	वितरक सह परिवहनकर्त्ता	मंडला	महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष वाहन इंस्युलेटेड	15.01.2018 दोपहर 2 बजे तक
2.	परिवहनकर्त्ता	के.ई.सी. देवरी, पनागर	लोडिंग आटो/टाटा ऐस	15.01.2018 दोपहर 2 बजे तक
3.	परिवहनकर्त्ता	स्लीमनाबाद से महर्षि आश्रम, करौदी	टाटा ऐस या समकक्ष	15.01.2018 दोपहर 2 बजे तक

निविदा संबंधी अन्य विस्तृत जानकारी के लिये वेब साइट www.mpcdf.nic.in पर देख सकते हैं अथवा **मोबाईल क. 9407392919** पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी अथवा समस्त आवेदनों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,जबलपुर

करौंदा, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर
(फोन नं. 0761–6499627, 2353051, फैक्स–0761–2353150)
E.mail-www.jdssanchi@gmail.com.

परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने अंतिम तिथि एवं समय	–	15.01.18 दोपहर 1:00 बजे
2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	–	15.01.18 दोपहर 2:00 बजे
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय	–	15.01.18 दोपहर 3:00 बजे
4. निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	–	रू. 5000/–(रू. पाँच हजार)
5. निविदा खोलने का स्थान	–	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित करौंदा, इमलिया, जबलपुर
6. ठेके हेतु " तकनीकी अर्हताऐं "का प्रारूप	–	प्रपत्र 01
7. ठेके के सामान्य शर्ते		प्रपत्र 02
8. " भाव पत्र/दरें " प्रस्तुत करने का प्रारूप	–	प्रपत्र 03
9. अनुबंध प्रारूप	–	प्रपत्र 04
10. मार्ग की दूरी	–	20 कि.मी. आना–जाना
11. आवश्यक वाहन	–	जबलपुर से के.ई.सी. पनागर (लगभग 20 किमी. आना–जाना) के लिये 1 टन क्षमता का आटो/टाटा ऐस या समकक्ष वाहन प्रतिट्रिप/प्रतिपाली दर पर)

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- प्रपत्र 01 " तकनीकी अर्हताऐं " का तथा प्रपत्र 02 " निविदा की शर्ते " एवं अनुबंध प्रपत्र क. 04 पृथक से बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 " तकनीकी अर्हताऐं " लिखा जावे।
- प्रपत्र 03 "भाव पत्र/दरें" पृथक से बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर "भाव पत्र/दरें" लिखा जावे।
- उक्त दोनों बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत किये जावें।
- निविदा प्रपत्र कमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

प्रपत्र क.–1

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर

विषयः जबलपुर से के.ई.सी. देवरी, पनागर हेतु परिवहनकर्त्ता के लिये तकनीकी जानकारी बावत्।

महोदय,

दुग्ध परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु दिनांक ————————— को ————————— में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 5000/–(अक्षरी रू. पाँच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क. —————————— दिनांक ——————— जो कि —————————————————— बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ अथवा जबलपुर दुग्ध संघ कार्यालय में रसीद क. ——————— दिनांक ———— से नगद जमा की पावती संलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताऐं

क.	**आवश्यक अर्हता**	**विवरण**	**अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज**
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्त्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनर शिप डीड
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्त्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	उपलब्ध वाहन का प्रकार : मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें।
6.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेट मेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
7.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस		लायसेंस/आवेदन की छायाप्रति।

क्रमशः..............2

नोटः– 1. उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियों संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।

2. तकनीकी अहताओं संबंधी प्रपत्र क्रमांक 1, निविदा की शर्ते प्रपत्र क्रमांक–2 एक साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर संबंधी प्रपत्र 3 एक सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारों की निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।

3. उपरोक्त 8 जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर ––––––––––––––––––

नामः– ––––––––––––––––––

पताः– ––––––––––––––––––––

टेलीफोन नंबर ––––––––––––––––

मोबाईल नंबर ––––––––––––––––

प्रपत्र क.–2

साँची दूध परिवहनकर्त्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते

1. निविदाकार यदि स्वयं प्रोपराईटर है तो को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदक को दूध एवं दुग्ध पदार्थो के वितरण/परिवहनकर्त्ता का अनुभव होना चाहिये तथा परिवहनकर्त्ता का अनुभव रखने वाली पार्टियों को वरीयता दी जावेगी।
3. निविदाकार के पास स्वयं का वाहन होना आवश्यक है। प्रबंध पक्ष का निर्णय अंतिम होगा तथा दुग्ध परिवहन हेतु वाहन वर्ष 2012 या उसके बाद पंजीकृत वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ रू. 5000/– (पाँच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर" के पक्ष में जबलपुर में भुगतान योग्य, अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी न जमा करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
5. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
6. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि रू. 10000/– संघ में जमा करना अनिवार्य है।
7. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्ट मनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
8. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
9. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
10. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। अतः दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में कोई भिन्नता पाई जाती है तो अक्षरों में लिखी दर को अंतिम माना जावेगा।
11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
12. निविदाकार/आवेदक दरें वर्तमान में प्रचलित डीजल दर पर समस्त कर सहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्त्ता को स्वीकृत परिवहन दर में समानुपातिक रूप से दिया जावेगा।
13. निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढ़कर समझ लें।

14. परिवहनकर्त्ता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में बतौर प्रतिभूति राशि रू. 10,000/– (दस हजार मात्र) नगद संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। जिसमें ई.एम.डी. राशि रू. 5000/– समायोजन योग्य होगी।

15. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्त्ता को कार्य अवधि दो वर्षो के लिये प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता को कार्य दो वर्षो में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
16. निविदा अवधि (आगामी दो वर्ष) के दौरान वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग प्राप्त होने पर परिवहनकर्त्ता को प्रबंधन के निर्देशानुसार अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था करनी होगी जिसका संघ द्वारा पृथक भुगतान दिया जावेगा।
17. निविदाकार को कार्य आवंटनोपरांत प्रतिदिन दूध ले जाने वाली क्रेटों को अगले वापस लाना अनिवार्य होगा। यदि एक दिन की औसत सप्लाई में प्रयुक्त क्रेटों की संख्या से अधिक क्रेटें मार्ग पर लंबित रहती हैं तो लंबित क्रेटों की धनराशि वर्तमान क्रय दर के आधार पर परिवहन देयकों से कटौत्रा की जावेगी। एक बार कटौत्रा की गयी राशि वापसी योग्य नहीं होगी। यदि पद्धति निरंतर प्रभावशील रहेगी।
18. निविदाकार द्वारा प्रपत्र–1, प्रपत्र–2, प्रपत्र–3 एवं प्रपत्र–4 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत की जावे।
19. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर निविदा को निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रबंधन द्वारा निर्णय लिये जाने पर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
20. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनुबंध का पालन समय सीमा में करना होगा। आवश्यक लाईसेंस बनवाना होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध परिवनकर्त्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हैं/हूँ। निविदा में दी गई संपूर्ण जानकारी पूर्णतः सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा निविदा में दी गई जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्र. 01 से 20 तक वर्णित शर्तो का पालन नहीं करता है/हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबंधक द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम एवं पता

प्रपत्र क.–3

भाव पत्र/दरें

नवीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें

1. आवेदक का नामः ------------------------------------
2. शैक्षणिक योग्यताः ------------------------------------
3. पिता का नामः ------------------------------------
4. पत्र व्यवहार का पता (प्रमाण सहित) : ------------------------------------
----

दूरभाष क. ---------------------- मोबाईल क.------------------------

पेन कार्ड नंबर ------------------------------

5. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनर ------------------------------

शिप है तो पार्टनर शिप फर्म --

पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है।

(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) --

6. वर्तमान व्यवसाय : --

7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (दस्तावेजी प्रमाण पत्र संलग्न करें) ----------

8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता कं.---------------------- चल/ अचल संपत्ति का ब्यौरा

---------------------- बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि --------------------

गत वर्ष आयकर का विवरण --

9.. वाहन व्यवस्था (स्वयं का वाहन होना आवश्यक है) वाहन के पंजीयक की छायाप्रति संलग्न करें अथवा विवरण दें --

----

10. धरोहर राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट क्र.------------------दिनांक--------- रू ---------संलग्न है।.

11 मेरे द्वारा स्लीमनाबाद से करौंदीं आश्रम बंद (Covered) वाहन से दूध परिवहन करने एवं क्रेट वापसी की दरें निम्नानुसार हैं :

क.	दूध वितरण व्यवस्था	बंद (Covered) वाहन से दुग्ध परिवहन करने की दर प्रतिट्रिप/पाली	
		अंको में	शब्दों में
1.	जबलपुर से के.ई.सी. ग्राम–देवरी, पनागर		

दिनांक ------------ आवेदक के हस्ताक्षर ----------

पूरा नाम ------------------

<u>*प्रपत्र क्र.–4*</u>

<u>*दूध परिवहन/वितरण हेतु अनुबंध प्रपत्र*</u>

यह अनुबंध आज दिनांक ....को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर एवं श्री/मेसर्स ------------------द्वितीय पक्ष जिन्हें आगे ठेकेदार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत् निम्न शर्तो के के अधीन दुग्ध संघ व परिवहकर्त्ता कार्य संपादित करेंगे :–

ठेकेदार द्वारा जबलपुर संयंत्र से के.ई.सी. देवरी, पनागर में दुग्ध वितरण एवं खाली क्रेट जबलपुर संयंत्र तक परिवहन करने के वास्ते अपने वाहन क्र. .... से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु आवेदन किया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें आगे लिखे अनुबंध एवं शर्तो पर संविदाकार के आवेदन पर परिवहन दर रू. .... प्रति किलोमीटर आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यवसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् ठेकेदार को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ की किसी भी तरह की न्यायालीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि ठेकेदार इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो उस दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस ठेकेदार का कार्य छोडने बावत् देना होगा।

2. यह कि ठेकेदार को निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर बंद (Covered) वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। ऐसे मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी और आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। जो ठेकेदार को बंधनकारी होगी एवं मार्ग की स्वीकृत दूरी में दर्शाये गये केन्द्रों में केन्द्र बढाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन निर्धरित दूरी से ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

3. यह कि निविदा द्वारा स्वीकृत दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय दूध की क्रेटस तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व केन आदि वापस लेकर जबलपुर डेयरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।

4. (अ) ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेयरी से प्राप्त किया जाना है, उतने ही क्रेटस रिटर्न लाते समय डेयरी से वापस कर रसीद प्राप्त करना चाहिये अन्यथा जितने क्रेटस कम वापस किये जावेंगे उतने ही क्रेंटों की कीमत की राशि ठेकेदार के बिल में से काटी जावेगी।

   (ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन निर्धारित सामग्री ठेकेदार को चालान में दर्शायी गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाये जाने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इसी प्रकार वापिस (रिटर्न) आने वाली सामग्री भी पूर्ण रूप से डेयरी के प्लान्टों, केन्द्रों

से एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लांट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो वस्तु की कीमत की कुल रकम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

5. यह कि ठेकेदार वाहन के साथ चलने वाले चालक तथा नियुक्त कर्मचारियों के नाम तथा फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक, संघ के वितरण स्थल पर वितरण मेन शीट में वाहन के ओन के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाडी बिगड जाने की स्थिति में ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाडी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य संपन्न करें अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो वह ठेकेदार का पूर्ण दायित्व होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दण्ड दिया जा सकता है।
एक से अधिक बार इस प्रकार की घटना होने पर निविदा निरस्त करके ठेकेदार की जमा प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी।
6. यह कि वाहन की खराबी अथवा ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट–फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी, उसका संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा।
7. यह कि ठेकेदार हर पखवाडे में एक दिन कार्यालय आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर लें अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जावेगी जो ठेकदार को मान्य होगी।
8. यह कि ठेकेदार अपने वाहन से दूध, दूध के पैकेटस व क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी चालान में दर्शायी गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो अतिरिक्त मात्रा के साथ प्रथम बार में उतनी दूध की मात्रा दूसरी बार में दुगनी तथा तीसरी बार में पाँच गुनी दूध की मात्रा वाहन से निकाली जावेगी तथा वाहन छोड दिया जावेगा। ऐसा प्रकरण किसी परिवहनकर्त्ता द्वारा नियमित करने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।
9. यह कि ठेकेदार/वाहन चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेटस/केन लायेंगे एवं दुग्ध चालान की प्रविष्ठियों में किसी प्रकार की काटा–पीटी नहीं करेंगे। ना ही दूध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/ बढायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदान होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
10. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे, ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगना कीमत वसूल की जावेगी।
11. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर से किसी प्रकार की गडबडी करेगा तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाँच करेंगे तथा यदि प्रथम दृष्ट्या दूध, दुग्ध संघ की प्रयोगशाला के परीक्षण में अपमिश्रित पाया जाता है तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर डेरी का होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त कर ली जावेगी।
12. यह कि ठेकेदार के कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (प्रयोगशाला) परीक्षण में जाँच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
13. यह कि ठेकेदार एवं ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी प्रकार संघ के कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी

की शिकायत करने पर कर्मचारी को तुरंत हटा देना होगा। ठेकेदार द्वारा कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका अनुबंध तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।

14. जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जाँच करने की दशा में ठेकेदार के अटेन्डेंट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को संपन्न करवायेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जाँच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जाँच पडताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

15. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेन्डेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाडी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाडी में पाये गये तो परिहवनकर्ता से रूपये 25/– (रूपये पच्चीस मात्र) प्रति व्यक्ति दर से वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थियों में यदि वाहन निर्धारित समय से 15 मिनिट तक अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगना (जो भी अधिक देय हो) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा। जितने दिन ठेकेदार दुग्ध वितरण के लिये अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिये रूपये 200/– (रू. दो सौ मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा।

16. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेरी में आना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनिट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात् रू. 100/– प्रति घंटा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में बिल से कटौत्रा किया जावेगा।

17. यदि ठेकेदार का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक (विपणन) की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि पन्द्रह (15) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा ।

18. यह कि परिवहनकर्त्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी शीट चालान में दर्शायी गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक वाहन में पाया जाता है तो अतिरिक्त मात्रा के साथ प्रथम बार में उतनी दूध की मात्रा दूसरी बार में दुगनी तथा तीसरी बार सौ गुनी दूध की मात्रा वाहन से निकाली जावेगी तथा वाहन छोड दिया जावेगा। ऐसा प्रकरण किसी परिवहनकर्त्ता द्वारा नियमित करने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।

19. यह कि ठेकेदार का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था ठेकेदार करेगा उसकी संपूर्ण जानकारी कार्यालय को देनी होगी।

20. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर, डेयरी जबलपुर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार दुग्ध या दुग्ध पदार्थ से भरी क्रेटों के साथ किसी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान को नहीं ले जा सकेगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारियों का पूर्ण परिवहन देयक निरस्त किये जायेंगे तथा बार–बार इसकी पुनर्रावृत्ति होने पर कार्य निरस्त किया जा सकता है।

21. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, ठेकेदार को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तारीख तक चैक द्वारा किया जावेगा।

22. वाहन चालक व अटेन्डेन्ट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के पैकेट/क्रेट मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (प्लांट ऑपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को ठेकेदार तुरन्त बदल देगा।

23. ठेके की शर्तो एवं अवधि दिनांक .... से ठेके की अवधि ....के लिये प्रभावशाली रहेगी। शर्तो की अवहेलना करना एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगें एवं अनुबंध समाप्त किये जाने पर ठेकेदार ऐसी संभावित के कारण कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

24. वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ जबलपुर के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा। उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

25. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर को होगा।

26. जबलपुर डेयरी की बकाया देय रकम ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी।

27. डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित 20 किमी./घंटे की गति से ज्यादा गति से नहीं चलाये जावेंगे और न ही डेयरी की परिधि के अंदर वाहन की साफ–सफाई की जावेगी। यदि ऐसा किया गया तो प्रति अवसर रूपये 200/– ठेकेदार पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।

28. ठेकेदार द्वारा दिये गये भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव में परिवहन की अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा वाहन चलाने के लिये असमर्थता व्यक्त की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ठेकेदार का अनुबंध निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।

29. उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संध, जबलपुर को होगा।

30. ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।

31. उपरोक्त शर्तो के अलावा संघ के हित को देखते हुए कार्य भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर सुरक्षित रखता है।

32. वाहन परिवहनकर्त्ता को क्रेटों का लेखा–जोखा स्वयं रखना होगा कम क्रेट की वसूली जो आदेश पत्र ठेकेदार को दिया जावेगा उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम क्रेट संघ में जमा करना होंगे अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी। कटौत्री होने के पश्चात् काटी गई राशि वापस नहीं की जावेगी।

33. ठेकेदार खाली क्रेटों का लेखा–जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख तक स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवें। निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिये स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

34. यह अनुबंध दो वर्षो के लिये प्रभावशाली रहेगा दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष कर अधिकतम तीन वर्षो हेतु बढ़ाई जा सकेगी।

35. यदि ठेकेदार शर्तो के परिपालन में असमर्थ है या अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह के पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा एवं संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक वाहन चलाना होगा। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि विशेष देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी।

36. ठेकेदार के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तो के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये जबलपुर दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में ठेकेदार द्वारा जबलपुर दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण जबलपुर दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो ठेकेदार से वसूल की जाना है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

37. परिवहनकर्त्ता को परिवहन देयकों के साथ मार्ग के सभी वितरण केन्द्रों द्वारा प्रतिदिन की दूध प्राप्ति विवरण एवं क्रेटों की आवक–जावक बकाया की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित सामग्री तथा सभी केन्द्रों को प्राप्त सामग्री में यदि भिन्नता पाई जाती है तो ऐसी मात्रा की धनराशि परिवहनकर्त्ता के परिवहन देयकों/प्रतिभूति से कटौत्रा/वसूल की जावेगी।

38. वाहन ठेकेदार जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर का नाम मात्र सदस्य बनेगा, एवं इस अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद केवल पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे।

39. अनुबंध के बीच अवधि में यदि डीजल, ऑयल की दरों में वृद्धि/कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी परिवहन दरों में की जा जायेगी।

40. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कॉन्ट्रेक्टर को संबंधित विभाग से कोड नंबर प्राप्त कर प्रावधानों के अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित वाहन ठेकेदार की प्रतिभूति राशि/लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

41. संघ यदि आपको परिवहनकर्त्ता वास्ते कार्य संपादन हेतु नियुक्त करता है तो आपको संघ हित में यह संघ निर्धारत लक्ष्यों के तहत् करना अनिवार्य होगा, यदि कार्य संपादन निरापित करने में आप सक्षम या संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं तो आपका परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कार्य समापन न करने की अक्षमता के लिये आप स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन सह वितरण साँची दुग्ध/उत्पाद नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।

42. यह कि दुग्ध की मांग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा जिसके लिये पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा।

43. आपातकालीन स्थिति यथा नदी नाले चढ़ने पर मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक दुग्ध शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटौत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

44. उपरोक्त अनुबंध की शर्तो के अलावा समय–समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश दिये जावेगें वह वाहन ठेकेदार जो इस अनुबंध के भाग माने जावेगें।

अनुबंध की समस्त शर्ते दोनों पक्षों द्वारा पढ़ एवं समझ ली गयी हैं तथा दोनों पक्षों द्वारा पूरे होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिनांक ––––––––को अनुबंध हस्ताक्षरित किया है ताकि सनद रहे एवं समय काम आये।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर	मेसर्स––––––––––––––––

गवाहः (1) प्रथम पक्ष नामः–––––––––––––––– पताः–––––––––––––––– –––––––––––––––––––– हस्ताक्षरः––––––––––––	गवाहः (1) द्वितीय पक्ष नामः–––––––––––––––– पताः–––––––––––––––– –––––––––––––––––– हस्ताक्षरः––––––––––––
गवाहः (2) प्रथम पक्ष नामः–––––––––––––––– पताः–––––––––––––––– –––––––––––––––––––– हस्ताक्षरः––––––––––––	गवाहः (1) द्वितीय पक्ष नामः–––––––––––––––– पताः–––––––––––––––– –––––––––––––––––––– हस्ताक्षरः––––––––––––